

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 12 फरवरी, 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में गैर वेतन मद में स्वीकृत अनुदान धनराशि रू० 10.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ के पत्र संख्या-यूआरसी/1776/24/2023-24, दिनांक 19-01-2024 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 गैर वेतन मद में प्रावधानित रू० 10.00 के सापेक्ष शासनादेश संख्या-71/2023/3999/नौ-5-2023/004-3आर०सी०-2004, दिनांक 02-08-2023 द्वारा प्रथम किशत के रूप में अवमुक्त धनराशि रू० 05.00 लाख का उपभोग हो जाने के उपरान्त द्वितीय/अंतिम किशत के रूप में रू० 05.00 लाख (रूपये पांच लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू० लाख में)

लेखाशीर्षक	आय-व्ययक व्यवस्था	अवमुक्त की जा रही धनराशि
2217-80-800-07-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)	10.00	05.00
योग-		05.00

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) यह धनराशि कोषागार से एकमुश्त आहरित कर किसी बैंक/पीएलए/पोस्ट आफिस/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
- (2) स्वीकृत धनराशि प्रतिमाह की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर कोषागार से आहरित कर उन्हीं कार्मिकों के वेतन/भत्तों पर ही व्यय की जाएगी, जो पद शासन द्वारा स्वीकृत हैं तथा जिसके सापेक्ष कर्मी कार्यरत हैं।
- (3) इस धनराशि का उपभोग चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अवश्य कर लिया जाय तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकर, उ०प्र० इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराया जाय।
- (4) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आहरण हेतु बीजक शासन के सक्षम स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर कोषागार को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (5) इस संबंध में भारत सरकार के आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या- एन-11024/01/2017-एलएसजी, दिनांक 01.07.2020 द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (6) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में अंकित प्रावधानों/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217808000700 लखनऊ विश्वविद्यालय (रीजनल सेन्टर फार अरबन एण्ड इनवायर मेन्टल स्टडी के लिए सहायता) मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-9-492-X-2023-24- दिनांक: 10-02-2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भा.व.डी.य.
12-02-2024
(कल्याण बनर्जी),
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-298/2024/ 565(1)/नौ-5-2024/007-3R.C.-2004, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
- 5- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 6- रजिस्ट्रार/वित्त अधिकारी, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- 7- अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
- 8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
- 9- गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर सेल।

आजा से,
12-02-2024
(कल्याण बनर्जी),
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

Allotment Grid Report


वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-12/02/2024

प्रेषण संख्या:- 298
आवंटन आदेश संख्या:- 001-298-2024-565-9-5-2024-007-3RC-2004
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2217 - शहरी विकास(आयोजनेत्तर-मतदेय)
80 - सामान्य
800 - अन्य व्यय
07 - लखनऊ विश्वविद्यालय (रीजनल सेन्टर फार अरबन एण्ड इनवायर मेन्टल स्टडी के लिए सहायता)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-8002-- , --01-रीजनल सेन्टर फार अरबन एण्ड इनवायरनमेंटल स्टडी	वर्तमान प्रगामी	500000 1000000	500000 1000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	500000 1000000	500000 1000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पाँच लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दस लाख


(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव